प्रेस प्रकाशनी

अप्रैल 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

1 अप्रैल 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनके पंजीकृत कार्यालय का पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
मेसर्स भोलानाथ खन्ना एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	एल-23, कनॉट प्लेस, ओडियन सिनेमा के पास, नई दिल्ली-110001	बी-14.00992 दिनांक - 15 मई 2000	09 फरवरी 2010
मेसर्स सन्नी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड	मेज़नेन मंजिल, अशोक सेंटर, ई-4/15, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055	बी-14.01924 दिनांक - 08 सितंबर 2000	04 मार्च 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जयंत मर्कंटाइल कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

6 अप्रैल 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जयंत मर्कंटाइल कंपनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : गोयंका हाऊस,

तल मंज़िल, 16, वालकेश्वर, मुंबई-400006 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 जनवरी 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

6 अप्रैल 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
गोबन्स फायनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड	303, आशिर्वाद, अहमदाबाद स्ट्रीट, मुंबई-400009	13.00092 दिनांक - 26 फरवरी 1998	22 जनवरी 2010
टॉपमार्क प्रॉपर्टिज लिमिटेड	1-ए, हिल व्यू अपार्टमेंट, ज.पी.रोड, अंधरी (प), मुंबई - 400058	13,00761 दिनांक - 20 अप्रैल 1998	24 जनवरी 2010
युनिवर्थ फिनलिज लिमिटेड	312, भारत फोटो हाऊस, 545, कालबादेवी रोड, मुंबई-400002.	13.00470 दिनांक - 24 मार्च 1998	01 फरवरी 2010
ऑनलाईन बिवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	25, रामवाडी, रूम.नं.55, कालबादेवी रोड, मुंबई - 400 002	13.01023 दिनांक - 26 सितंबर 1998	4 फरवरी 2010
नलबाय फायनन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	304, मल्होत्रा हाऊस, हिराचंद मार्ग, मुंबई-400001	13.00947 दिनांक - 5 अगस्त 1998	4 फरवरी 2010
वघानी फायनान्स लिमिटेड	76/37, एन.एम, बिल्डिंग, मुंबई सेंट्रल, सुखलाजी स्ट्रीट, मुंबई-400008.	13.00380 दिनांक 23 मार्च 1998	4 फरवरी 2010
प्रगति बांड्स एण्ड होल्डिंग्ज लिमिटेड	ओल्ड मोटर स्टैंड, ईतवारी, नागपुर-440008	13.00686 दिनांक - 20 अप्रैल 1998	4 फरवरी 2010
जुआरी क्रेफिन लिमिटेड	ए/3, अलिस अपार्टमेंट्स, मिरामर, पणजी, गोवा-430001	13.00911 दिनांक - 26 मई 1998	11 फरवरी 2010
पीईई आइआई इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट नं.3, ओवल व्यूह, पहली मंज़िल, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई-400020.	13.01006 दिनांक - 10 सितंबर 1998	11 फरवरी 2010

रिज़र्व बैंक ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लि., करनूल, करनूल जिला (आँध्र प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया)

9 अप्रैल 2010

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लि., करनूल, करनूल जिला, (आँध्र प्रदेश) द्वारा जमाराशि को चुकाने में असफल हो जाने, 2005 से लगातार सांविधिक रिटर्न प्रस्तुत न करने, 2005 से लेखापरीक्षित तुलनपत्र प्रस्तुत न कर पाने तथा आँध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से बैंक के संबंध में विनियामक अनुपालन करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता

के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में 7 अप्रैल 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, आंध्र प्रदेश राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेंस रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लि., करनूल, करनूल जिला (आँध्र प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.सुब्रमणियम, महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004 टेलीफोन नंबर : (040)23234920; फैक्स नंबर : (040) 23235891.

बाज़ार स्थिरीकरण योजना : राजकोषीय वर्ष 2010-11 के लिए उच्चतम सीमा

12 अप्रैल 2010

बाज़ार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) के प्रावधानों के अनुसार राजकोषीय वर्ष 2010-11 के लिए बाज़ार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत बकाए की उच्चतम सीमा 50,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इस सीमा की समीक्षा तब की जाएगी जब बकाए की राशि 35,000 करोड़ रुपए की आरंभिक सीमा तक पहुँच जाएगी।

वर्तमान बाज़ार स्थिरीकरण योजना बकाया शेष (अंकित मूल्य) 2,737 करोड़ रुपए है जो राजकोषीय वर्ष 2010-11 के दौरान मोचन के लिए बकाया है।

रिज़र्व बैंक ने राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि., सातारा, (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया

20 अप्रैल 2010

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि., सातारा, (महाराष्ट्र)के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 8 अप्रैल 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमारशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि., सातारा, (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोड़ा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई 400018 से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई 400 018 टेलीफोन नंबर : (022) 24939930-49 सीधी लाईन : 24935348; फैक्स नंबर : (022) 24935495; ई-मेल.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों के दिशा-निर्देश में परिवर्तन किया

21 अप्रैल 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों में परिवर्तन की घोषणा की। उक्त दिशा-निर्देश प्रारंभ में 23 अप्रैल 2003 तथा 20 सितंबर 2006 को जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में परिवर्तन की घोषण इसलिए की गई हैं ताकि कंपनियों को इनका अनुपालन करने में सुविधा हो सके। कंपनियों की सुविधा के लिए परिवर्तन घोषित किए गए हैं। परिवर्तित दिशा-निर्देशों के अनुसार:

- प्रतिभूतिकरण कंपनियां (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियां (आरसी) परिसंपत्तियों का अर्जन अपनी बहियों में या अपने द्वारा स्थापित ट्रस्ट की बहियों में सीधे ग्रहण कर सकती हैं।
- एससी /आरसी द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों की वसूली की अवधि निदेशक बोर्ड कतिपय शर्तों के अधीन पांच से आठ बर्ष तक बढ़ा सकता है।
- प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में अतिरिक्त निधि के विनियोजन के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। एससी / आरसी को उसके अपने प्रयोग के लिए भूमि और भवन में अपनी निधि के निवेश हेतु 10 प्रतिशत की उच्चतर सीमा निर्धारित की गई है ।
- ऐसी परिसंपत्ति / प्रतिभूति रसीद जो पांच या आठ वर्ष के अंत तक अनिर्णीत हो /प्रतिदेय (मोचित) न हो, को अब से हानिगत परिसंपत्ति मान ली जाएगी।
- एससी /आरसी के कार्यों में पारदर्शिता और बाज़ार अनुशासन लाने की दृष्टि से, वर्ष के दौरान वसूल हुई परिसंपत्तियों, वर्ष के अंत तक वसूल न हो सकी वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य, अदायगी के लिए लंबित प्रतिभूति रसीदों के मूल्य आदि के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण मानदंड का निर्धारण किया गया हैं।
- योजना विशेष के तहत जारी सभी प्रतिभूति रसीदों के प्रतिदेय (मोचन) होने तक प्रत्येक योजना तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत उनके द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की बकाया राशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत हिस्सा शेयरों में निवेश करना तथा उसकी धारिता को बनाए रखना एससी /आरसी के लिए अब अनिवार्य है।

इन संशोधनों से संबंधित दो परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन के अधिग्रहण के संबंध में प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) तथा पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को जारी में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश

22 अप्रैल 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) तथा पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा अपनी

देयताओं की वसूली हेतु उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन / अधिग्रहण के संबंध में अपने अंतिम दिशा-निर्देश को जारी किया।

ये दिशा-निर्देश वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट)की धारा 9 (ए) के तहत बनाए गए हैं।

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) तथा पुनर्निर्माण कंपनियों के कार्य में निष्पक्षता, पारदर्शिता, गैर-भेदभाव तथा गैर-मनमानापन सुनिश्चित करना और एससी/आरसी द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन / के अधिग्रहण पर नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखना है।

इन दिशा-निर्देशों में उन पात्रता शर्तों तथा आधार को निर्धारित किया गया है जिनके आधार पर एससी तथा आरसी अपनी देयताओं की वसूली के लिए उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन के परिवर्तन या अधिग्रहण के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। एससी / आरसी निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से इस संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश बनाएं।

इन दिशा-निर्देशों में एससी / आरसी के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार समिति की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है जो एससी/आरसी के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन अथवा उसके अधिग्रहण की इच्छा दर्शाते दर्शाते हुए उधारकर्ता को दी जाने वाली 60 दिन की अनिवार्य नोटिस देने, यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज करने के लिए उधारकर्ता को अवसर देने, एससी/आरसी द्वारा सुविचारित आदेश पारित करने से पूर्व उधारकर्ता की आपत्तियों की स्वतंत्र सलाहकार समिति/बोर्ड द्वारा परीक्षण करने संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी।

यह उल्लेखनीय है कि दिशा-निर्देशों का प्रारूप 5 दिसंबर 2009 को आरबीआइ वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया था। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों, वाणिज्य मंडल सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।

शोगन फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

26 अप्रैल 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए शोगन फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 504, समर्थ वैभव, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 मार्च 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।